राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ
जोधपुर

अवमानना संख्या **93/2018**

अन्तर्गत अपील संख्या 288/2018

उर्मिला

बनाम

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

दिनांक :– 23.11.2023

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री आर सी जोशी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र राठौड़ उपस्थित।

प्रस्तुत अवमानना याचिका अधिकरण के आदेश दिनांक 26.07.2018 (अनुलग्नक–1) की अनुपालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं करने पर प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.07.2018 के कियान्वयन को अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित किया गया था। उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील स्थगन आदेश के एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के आधार पर निस्तारित की जा चुकी है। साथ ही, अपीलार्थी का अन्य आदेश दिनांक 22.10.2017 के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण किया जा चुका है। जहां अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान में आलोच्य आदेश प्रभाव हीन होने से अवमानना याचिका सारहीन हो चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अन्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.10.2019 एवं उसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा नवनी पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। जिन्हें पत्रावली पर रखा जावे।

उक्त तथ्य के आलौक में स्पष्ट है कि मूल अपील में जिस स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी वह आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं होने और अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के परिणामस्वरूप उसके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने से वर्तमान अवमानना याचिका सारहीन हो जाती है। अतः अवमानना याचिका इस आधार पर DROP की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य